VARMA FOUNDATION GROUP OF INSTITUTIONS

MONA POLYTECHNIC COLLEGE
Beldarichak, Patna
Cont.: 7033773120, 9153710489, 7970692271
Affiliated To :- SBTE (Govt. of Bihar) | Approved By :- A.I.C.T.E., (Govt. of India)

ADMISSIONS OPEN
Direct Admission in 2nd year for 12th Maths/ITI Pass Students
Eligibility: 10th Pass with minimum 35% marks

Branch
• Civil Engineering
• Mechanical Engineering
• Electrical Engineering
• Computer Science Engineering

100% Placement Assistance
बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड द्वारा पढ़ना, रहना, खाना निःशुल्क

Entrance Exam: 08 Sept, 2025 | Last day to apply 06 Sept., 2025

OTHER COURSES
ANM | GNM | B.Sc. Nursing | P.B. B.Sc. Nursing
M.Sc. Nursing | PARAMEDICAL | LAW | BBA | BCA
सभी कोर्सेज बिहार सरकार, भारत सरकार एवं संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है।
Head Office: Agamkuan, Patna-800007 (Bihar)
Helpline : 7261844725 / 9262375232
varmafoundation2018@gmail.com www.varmafoundation.com

प्रयोगशालाओं में सभी जरूरी उपकरणों को उपलब्ध कराने का निर्देश

कॉलेजों में नियमित रूप से प्रैक्टिकल की कक्षाओं का किया जायेगा संचालन

प्रतिनिधि, छपरा

स्नातक का नया सत्र शुरू हो चुका है. कॉलेजों में नये सत्र की कक्षाएं भी चल रही हैं. कॉलेजों में नियमित वर्ग संचालन के साथ प्रयोगशालाओं को भी संचालित कराने का निर्देश दिया गया है. कुलपति प्रो परमेंद्र कुमार बाजपेई ने सभी प्राचार्यों इस संदर्भ में गाइडलाइन जारी किया है. कुलपति ने कहा है कि छात्रों को हर हाल में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्रैक्टिकल की कक्षा में शामिल होना है. कुछ कॉलेजों से ऐसी शिकायत मिली है कि वहां पर प्रैक्टिकल के नाम पर महज खाना पूर्ति करायी जा रही है. पूर्व में कई छात्र संगठनों ने इस बात को लेकर कुलपति को आवेदन दिया है. जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कॉलेजों में प्रयोगशाला मानकों के अनुरूप नहीं हैं. कुछ कॉलेजों में तो स्नातक और पीजी की परीक्षाओं के दौरान प्रैक्टिकल के नाम पर खानापूर्ति कर दी जाती है. ऐसे में कुलपति ने सभी कॉलेजों को सख्त निर्देश दिया है कि


जेपीयू का प्रशासनिक भवन.

प्रयोगशालाओं को अपडेट किया जाये और प्रैक्टिकल क्लास के लिए निर्धारित रूटीन बनाया जाये. विश्वविद्यालय की टीम भी अब लगातार कॉलेजों में जाकर प्रयोगशाला का निरीक्षण करेगी. शहर के राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश महिला कॉलेज, गंगा सिंह कॉलेज, जगदम कॉलेज आदि में प्रैक्टिकल की कक्षाओं का भी शेड्यूल प्रकाशित किया गया है.

कई कॉलेज में नहीं है लैब टेक्निशियन व सहायक : कई ऐसे कॉलेज है जहां प्रैक्टिकल रूम तो है. लेकिन वहां लैब टेक्नीशियन, सहायक व अन्य कर्मियों के नहीं होने से छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ साल पूर्व रामजयपाल कॉलेज को नैक से बी ग्रेडिंग प्राप्त हुई थी. छात्रों को उम्मीद थी कि कॉलेज में विकसित किये गये प्रयोगशाला का लाभ उन्हें मिलेगा. लेकिन आज छात्रों में काफी मायूसी है. इंटरमीडिएट व स्नातक के छात्रों तथा पीजी में नामांकित छात्रों को भी प्रयोगशाला का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है. विज्ञान संकाय के छात्रों ने बताया कि नामांकन के बाद उन्हें एक बार भी प्रयोगशाला में जाकर प्रैक्टिकल करने का अवसर नहीं मिल पाया है. कॉलेज से मिली जानकारी के अनुसार प्रयोगशाला के विधिवित संचालन हेतु कोई भी टेक्निशिनिय व सहायक मौजूद नहीं है. जिस कारण सभी सामग्रियां धूल फांक रही है.

कई कॉलेजों में नहीं मौजूद है प्रयोगशाला के उपकरण : जिले के सभी अंगीभूत कॉलेजों में प्रैक्टिकल के लिए प्रयोगशाला तो है लेकिन अधिकतर कॉलेजों में प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्रियां व लैब के अन्य उपकरण मौजूद नहीं होते. जिस कारण छात्रों को प्रयोगशाला में जाकर अपने विषय से संबंधित प्रयोग करने में समस्या होती है. कई कॉलेजों में तो परखनली, चम्मच, जलधार चूसन पंप, धवन बोतली, कीप, खरल, रोदनी, ब्यूरेट आदि प्रयोगशाला की सामग्रियों के विषय में छात्र-छात्राएं जानते तक नहीं है.

स्नातक में नामांकन के लिए आज से होगा ऑनलाइन आवेदन

छपरा. स्नातक सत्र 2025-29 में तृतीय व अंतिम चरण के नामांकन हेतु ऑनलाइन अप्लाइ आज से शुरू होगा. इस संदर्भ में छात्र कल्याण विभाग के अध्यक्ष प्रो राणा विक्रम सिंह ने नोटिफिकेशन जारी किया है. उन्होंने बताया कि पांच से 10 सितंबर तक तृतीय व अंतिम चरण के नामांकन के लिए अप्लाइ वेबसाइट पर लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि पहले व दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत बची हुई सीटों की संख्या विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर विषयवार जारी कर दी गयी है. इन सीटों पर नामांकन के लिए तृतीय चरण में नये सिरे से आवेदन लिया जायेगा. नामांकन की इच्छुक छात्र-छात्राएं वेबसाइट पर पहले विषयवार उपलब्ध सीटों की संख्या देख लें. उसके आधार पर ही वह ऑनलाइन अप्लाइ करें. इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी, होम साइंस, अर्थशास्त्र तथा भूगोल में सीट काफी कम संख्या में बची हुई है. अन्य विषयों में सीट उपलब्ध है. 10 सितंबर को ऑनलाइन अप्लाइ की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत 12 सितंबर तक तृतीय चरण के नामांकन हेतु मेधा सूची जारी कर दी जायेगी. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन अप्लाइ का लिंक पांच सितंबर सुबह 10 बजे से वेबसाइट पर जारी कर दिया जायेगा. लिंक ओपन करने के बाद छात्रों को सभी जानकारी भरनी होगी.

शिक्षक दिवस पर पीएम श्री मध्य विद्यालय में किया गया समारोह

जिला पार्षद ने केक काटकर दीं शुभकामनाएं

प्रतिनिधि, भगवानपुर हाट

प्रखंड क्षेत्र के महमदा स्थित पीएम श्री मध्य विद्यालय में गुरुवार को शिक्षक दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पार्षद सुशील कुमार डब्लू उपस्थित हुए. उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

विद्यालय के बच्चों ने तालियों के साथ जिला पार्षद का स्वागत किया. इस अवसर पर जिला पार्षद ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक समाज के वास्तविक निर्माता होते हैं. वे बच्चों


बच्चों के साथ केक काटते जिला पार्षद सुशील कुमार डब्लू.

के जीवन को दिशा देने का कार्य करते हैं. उन्होंने बच्चों को अपने शिक्षकों का सम्मान करने और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी. कार्यक्रम में बच्चों ने कविताएं, गीत और भाषण प्रस्तुत कर शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की. शिक्षकों को पुष्पगुच्छ और शुभकामना कार्ड भेंट किये गये. विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रह्मदेव प्रसाद यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षक दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि समाज के हर बच्चे तक शिक्षा की रोशनी पहुंचे. कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे. अंत में सभी बच्चों के बीच मिठाइयों और टॉफियों का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया.

सब्जी उत्पादन को मिलेगा व्यावसायिक स्वरूप : राकेश

सीवान. किसानों की आय दोगुनी करने और सब्जी उत्पादन को व्यावसायिक स्वरूप देने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग ने ठोस कदम उठाये हैं. इसी कड़ी में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों को सक्रिय कर उनके कार्यालय संचालन को गति देने पर जोर दिया जा रहा है. इस संबंध में वेजफेड के राज्य प्रबंधक राकेश शर्मा ने सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभाकक्ष में सहकारिता विभाग के अधिकारियों और पीवीसीएस से जुड़े अध्यक्ष, प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधकों के साथ बैठक की. उन्होंने बताया कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. बैठक में बताया गया कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना को सहकारी संरचना के त्रिस्तरीय मॉडल के तहत लागू किया जा रहा है. इसमें प्रखंड स्तर पर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन होता है, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ और शीर्ष स्तर पर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन कार्य करता है. इस संरचना से किसानों को सब्जी उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की एकीकृत सुविधा मिलती है, जिससे उन्हें सीधे लाभ होता है. राकेश शर्मा ने बताया कि सब्जी संघों के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण का काम भी चल रहा है. रघुनाथपुर सब्जी संघ में यह कार्य शुरू हो चुका है.

कलवार समाज ने मनायी धूमधाम से कुलदेवता बलभद्र भगवान की जयंती

महाराजगंज. शहर के पसनौली गगन स्थित एक हॉल में रविवार को कलवार समाज के कुलदेवता श्री बलभद्र भगवान की जयंती धूमधाम से मनायी गयी. कार्यक्रम का आयोजन महाराजगंज कलवार कल्याण संघ के तत्वावधान में किया गया. मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी विनोद जायसवाल, पूर्व विधायक हेमनारायण साह, नपं उपाध्यक्ष गुड़िया कुमारी, पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमारी देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. अपने संबोधन में एमएलसी विनोद जायसवाल ने कहा कि भगवान बलभद्र के आशीर्वाद से समाज का उत्थान होता है. समाज को एकजुट होकर चट्टानी एकता दिखानी चाहिए.

पूर्व विधायक व्यासदेव आचार संहिता उल्लंघन मामले में फरार घोषित

प्रतिनिधि, सीवान

सिविल जज वरीय कोटि सह विशेष अदालत एमपी एमएलए अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में लगातार अनुपस्थित चल रहे पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद को फरार घोषित कर दिया है.

कोर्ट ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई बार आदेश जारी किया था और पुलिस को कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया था. लेकिन आदेशों का पालन नहीं हो सका और पूर्व विधायक लगातार कोर्ट में पेश नहीं हुए. अभियोजन पक्ष के एपीओ रामानंद सिंह ने न्यायालय में मामले की जानकारी देते हुए उचित आदेश की मांग की. अदालत ने लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए पूर्व विधायक को फरार घोषित करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.

ज्ञात हो कि व्यासदेव प्रसाद सीवान सदर के पूर्व विधायक रह चुके हैं और उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला लंबित है. सूत्रों के अनुसार, वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन अदालत ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें फरार घोषित कर दिया है. अब पुलिस को अदालत के आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी. इस फैसले के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है.

रेस्टोरेंट पर छापा, आपत्तिजनक स्थिति में दो किशोरी समेत पांच हिरासत में



रेस्टोरेंट के नीचे लगी लोगों की भीड़.

बसंतपुर. बसंतपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कई होटलों व रेस्टोरेंट में अवैध गतिविधियों की शिकायत पर गुरुवार की दोपहर बाद प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान किंग रेस्टोरेंट में पुलिस ने दो किशोरी और तीन युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा. सभी को हिरासत में ले लिया गया है. छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट संचालक मौके से फरार हो गया. यह कार्रवाई सीओ अजमत अली अंसारी, थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, एसआइ कपिलदेव प्रसाद, एसआइ रिंकू कुमारी और एएसआइ कुमार कुणाल के नेतृत्व में की गयी. पुलिस को सूचना मिली थी कि किंग रेस्टोरेंट में अनैतिक कार्य कराये जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि संचालक पैसों के बदले गोपनीय केबिन उपलब्ध कराता था. छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं. इससे पहले भी लगभग पांच दिन पहले प्रशासन ने कई होटलों पर सर्च अभियान चलाया था और सभी संचालकों को सख्त हिदायत दी गयी थी. बावजूद इसके किंग रेस्टोरेंट में फिर से आपत्तिजनक गतिविधियां सामने आ गयीं. पुलिस की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की है. लोगों का कहना है कि होटल संचालकों की मिलीभगत के बिना इस प्रकार के धंधे संभव नहीं हैं.

बीइओ ने हेडमास्टरों से मांगी स्वीप कोषांग के गठन की रिपोर्ट

बड़हरिया. बीइओ राजीव कुमार पांडेय ने आगामी विधानसभा चुनाव के तहत प्रखंड के सभी सरकारी स्कूलों में मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कोषांग के गठन का निर्देश दिया था. इसके मद्देनजर उन्होंने प्रखंड के प्रत्येक विद्यालय से स्वीप कोषांग की रिपोर्ट मांगी है,जो बीआरसी को अविलंब मुहैया करानी है. उन्होंने बूथ वाले प्रखंड के तमाम स्कूलों में एचएमएफ, ह्वील चैयर,पॉवर शाकेट आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि छह सितंबर तक चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक इन सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर स्थल भ्रमण करेंगे. साथ ही, उन्होंने वीएसएस, एसएमडीसी व एसएमसी का गठन कर उसकी रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया है. वहीं बीइओ ने 10 सितंबर से एक से आठ कक्षा के विद्यार्थियों की होने वाली छमाही परीक्षा को लेकर प्रश्नपत्र डिमांड पत्र मांगा है, ताकि सहजता से परीक्षा का संचालन हो सके. इस मौके पर एचएम मनोज कुमार सिंह, शंभूनाथ यादव, श्यामदेव प्रसाद यादव, प्रवीण कुमार सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे.

'एक पेड़ मां के नाम' फोटो अपलोड करने का मिला प्रशिक्षण

बड़हरिया. प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी में मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे अभियान "एक पेड़, मां के नाम" के तहत प्रखंड के सभी हाई स्कूलों के संचालकों एवं समन्वयकों की बैठक आयोजित की गयी. यह अभियान यूथ एंड यूको क्लब के तहत एक सितंबर से 15 सितंबर तक चलाया जायेगा. बैठक में स्कूल रजिस्ट्रेशन और फोटो अपलोडिंग की तकनीकी जानकारी दी गयी. सभी स्कूलों को कम से कम 70 फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. जहां छात्रों की संख्या अधिक है, वहां और अधिक फोटो अपलोड करने को कहा गया है. बीपीसी के मीडिया प्रभारी हरिश्चंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर दो बजे ऑनलाइन समीक्षा बैठक होगी, जिसमें उपलब्धियों की जानकारी ली जाएगी. तकनीकी अफसर बलबीर सिंह ने कहा कि इस अभियान का नाम "एक पेड़, मां के नाम" इसलिए रखा गया है ताकि समाज को मां और प्रकृति से भावनात्मक रूप से जोड़कर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके. उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे जीवनदायिनी हैं जो ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं. एकाउंट अफसर साकेत रंजन ने कहा कि पौधरोपण के साथ-साथ छात्रों को पौधों की देखभाल के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए. उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि जिस तरह वे अपनी मां का ख्याल रखते हैं, उसी तरह पौधों का भी करें. इस मौके पर एकाउंटेंट बैरिस्टर सिंह, डाटा एंट्री ऑपरेटर हरिओम शरण, एचएम मनोज कुमार सिंह, शंभूनाथ यादव, पंकज कुमार, डॉ. श्यामदेव यादव, बलराम सिंह, एहसानुल्लाह एहसान, सतीश कुमार, डॉ. अवधेश, दिनेश, संजय, अनिल, हरिशंकर, माहेलका आदि शिक्षक उपस्थित थे.

11 सूत्री मांगों को लेकर अड़े कार्यपालक सहायक, आंदोलन दूसरे दिन भी जारी

- काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, मानदेय बढ़ाने व राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग

सीवान. बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आह्वान पर जिले के सभी विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों ने गुरुवार को भी विरोध जताया. समाहरणालय, प्रखंड व अंचल कार्यालयों में काला बिल्ला लगाकर उन्होंने लगातार दूसरे दिन काम किया. सहायकों का कहना है कि सरकार उनकी 11 सूत्री मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे आंदोलन की राह अपनाना उनकी मजबूरी बन गयी है. संघ के जिला सचिव विशाल कुमार शर्मा ने कहा कि कार्यपालक सहायक राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू


समाहरणालय में अपनी मांगों को लेकर विरोध जताते कार्यपालक सहायक.

करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसके बावजूद उन्हें अब तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शनिवार तक मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन और तेज किया जायेगा. 10 सितंबर के बाद दो दिन की सामूहिक छुट्टी लेकर आंदोलन को नये चरण में ले जाया जायेगा. कार्यपालक सहायक विभेष कुमार सिंह ने कहा कि उनके बिना कोई भी जनकल्याणकारी योजना सफल नहीं हो सकती. विरोध कार्यक्रम में पुनित कुमार, संदीप कुमार, सुनील कुमार, विकास कुमार, राजीव कुमार, सुजीत कुमार, मिथिलेश कुमार, विवेक कुमार, सुनील चतुर्वेदी, सुमित कुमार, अनिल कुमार, राजू कुमार और मनोज कुमार शामिल रहे.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

SAM, अंचल -चम्पारण, उज्जवल काम्पलेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी, cochampresovery@pnb.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची
ई नीलामी की तिथि : 08.10.2025 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 08.10.2025 पूर्वाह्न 12.00 बजे तक)

क्रम सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम एवं संख्या / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]-	ए) मांग सूचना कि तिथि U/S 13(2) / बी) बकाया राशि 13(2) नोटिस तिथि को / सी) कब्जा तिथि U/S 13(4) / डी) कब्जे की प्रकृति- प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	ए)सुरक्षित मूल्य- / बी) ईएमडी / सी) बीड वृद्धि की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण- सुरक्षित लेनदार
1	**पीएनबी- सिवान स्टेशन रोड** / **मे0-गुप्ता जेनरल स्टोर** 9912008700000318 991200IL00000101 / **मेसर्स-गुप्ता जेनरल स्टोर** ग्राम-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान-841226 / **ओम प्रकाश गुप्ता** पिता-चन्द्रिका प्रसाद, ग्राम-उखी पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान-841226. / **श्रीमती तारा देवी** पत्नी ओम प्रकाश गुप्ता, ग्राम-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान-841226	भूमि और भवन के साथ सेल डीड नं0-3762, दिनांक-10.04.2015, खाता नं0-232, खेसरा नं0-2729, थाना नं0-341, तौजी नं0-998, क्षेत्रफल-4.65 डिसमिल या 1 कट्ठा 5 धूर, मौजा-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान, चौहद्दी :- उत्तर-नम्बर हाजा वैदार चनमटिया देवी, दक्षिण-नम्बर हाजा निज पटीदार, पूरब-विशेश्वर साह, पश्चिम-रास्ता पीसीसी, **बंधककर्ता** : तारा देवी पत्नी ओम प्रकाश गुप्ता.	ए) 03.08.2022 / बी) रू0 521025.46/- + पूर्ण भुगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क / सी) 10.11.2022 / डी) प्रतिकात्मक	ए) रू0 2550000/- / बी) रू0 255000 /- / सी) रू0 20000/-	08.10.2025 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	पंजाब नेशनल बैंक, सिवान स्टेशन रोड, शाखा (991200)

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **08.10.2025 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान-मोतिहारी
दिनांक : 03.09.2025
श्री रवि कुमार, मो0-8787217004
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

SAM, अंचल -चम्पारण, उज्जवल काम्पलेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी, cochampresovery@pnb.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची
ई नीलामी की तिथि : 08.10.2025 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 08.10.2025 पूर्वाह्न 12.00 बजे तक)

क्रम सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम एवं संख्या / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]-	ए) मांग सूचना कि तिथि U/S 13(2) / बी) बकाया राशि 13(2) नोटिस तिथि को / सी) कब्जा तिथि U/S 13(4) / डी) कब्जे की प्रकृति- प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	ए)सुरक्षित मूल्य- / बी) ईएमडी / सी) बीड वृद्धि की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण- सुरक्षित लेनदार
1	**पीएनबी-सिवान, स्टेशन रोड** / **मे0 कल्याणी वस्त्रालय** 9912008700000293 / **मे0 कल्याणी वस्त्रालय** (**प्रोपराईटर** श्री विकाश कुमार) शहीद सरई मार्केट, सिवान-841226 / श्री विकास कुमार, पिता-श्री विजय कुमार, वार्ड नं0-30,दीनदयाल नगर, तुरहा टोला, सिवान-841226 / **नीला देवी** पत्नी श्री विजय कुमार (गारंटर), वार्ड नं0-30, दीनदयाल नगर, तुरहा टोला, सिवान-841226.	भूमि और भवन के साथ 1. सेल डीड नं0-1558, दिनांक-01.02.2003, खाता/होल्डिंग नं0-169, थाना नं0-231, वार्ड नं0-14 (नया), 20 (पुराना), क्षेत्रफल-2.25 धूर, चौहद्दी :- उत्तर-निज नं0 हाजा, दक्षिण-नं0 हाजा हाल वैदर (पीसीसी रोड), पूरब-परती, पश्चिम-लालमुनी देवी. 2. सेल डीड नं0-1559, दिनांक 01.02.2003, क्षेत्रफल-2.25 धूर, चौहद्दी :-उत्तर-नं0 हाजा हाल वैदार (पीसीसी रोड), दक्षिण-मोहन जी, पूरब-परती, पश्चिम-लालमुनी देवी, मौजा-दीनदयाल नगर, थाना+अंचल-सिवान, जिला-सिवान. **मालिक** : श्रीमती नीला देवी पत्नी विजय कुमार.	ए) 16.06.2021 / बी) रू0 787515/- + पूर्ण भुगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क / सी) 26.11.2021 / डी) प्रतिकात्मक	ए) रू0 1205000,/- / बी) रू0 120500 /- / सी) रू0 20000/-	08.10.2025 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	पंजाब नेशनल बैंक, सिवान स्टेशन रोड, शाखा (991200)

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **08.10.2025 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान-मोतिहारी
दिनांक : 03.09.2025
श्री रवि कुमार, मो0-8787217004
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002